Harshil Maheshwari

From:	Dr. Manilal Valliyate
Sent:	20 April 2020 11:26
To:	dirveterinary@mp.gov.in
Cc:	cmdwz.indore@gmail.com
Subject:	मध्य प्रदेश में मुर्गीपालन (हैचरी) व्यवसायिकों द्वारा अवांछित चूजों को मारने के क्रूर और अवैध तरीकों पर प्रतिबंध लगाने और AWBI तथा अन्य निकायों द्वारा निर्धारित विधि को कार्यान्वयित करने के संबंध में ।
Attachments:	Annexure 1 Order of AHD UP (Hindi and English).pdf; Annexure 2 Maharashtra AHD order (Marathi and english).pdf; Annexure 3 PETA_India_Investigation Report_chicks.pdf; Annexure 4 Section 11 of PCA.pdf; Annexure 5 Law Commission Report.pdf; Annexure 6 AWBI advisory dated 09 03 2012.pdf; Annexure 7 Draft Egg Laying Hens rules.pdf; Annexure 8 Article 7.6.14 of OIE.pdf; Annexure 9 The Swiss Parliament decision (English).pdf

आदरणीय महोदय/महोदया,

मैं, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया तथा इसके 15 लाख समर्थकों एवं सहयोगियों की तरफ आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मध्य प्रदेश के सभी मुर्गीपालकों को अवांछित चूजों को मारने के क्रूर और अवैध तरीकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत निर्देश जारी करें। इसके अलावा भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI), भारतीय विधि आयोग (LCI), और पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन (OIE) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.6.14 में अनुशंसित अक्रिय गैस विधि का उपयोग करने हेतु निर्देशित करें।

हाल ही में, हमारी अपील पर **उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग ने** चूजों को मारने के लिए क्रूर और अवैध प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और अवांछित चूजों को मारने के लिए AWBI द्वारा अनुशंसित विधि अपनाने के **आदेश जारी किए थे।** (इन आदेशों की प्रतियां **Annexure 1 और 2** के रूप में संलग्न हैं)

जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों नर चूजे (चूंकि वे अंडे नहीं दे सकते हैं), शारीरिक विकृति से पीड़ित, अस्वस्थ्य या निम्न श्रेणी के चूजों को अंडा उद्योग में बेकार समझा जाता है सीलिए उन्हें अवैध और क्रूर तरीकों से मौत के घाट उतार दिया जाता है जैसे डुबोकर, जलाकर, पीसकर, दम घोटकर या फिर गाड़ियों में भरकर उन्हें मछलियों का भोजन बनने हेतु भेज दिया जाता है। कुछ चूजों को रसायन युक्त रंगो से रंगकर बेच दिया जाता है या फिर गाँवों में बच्चों को दे दिया जाता है, उनके शरीर पर रंगे गए रंग में रसायन युक्त होने से, उपेक्षा से या अन्य कारणों से जल्दी ही मर जाते हैं। भारत में प्रमुख मुर्गीपालन संस्थानों द्वारा अनचाहे चूजों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तरीकों पर तैयार एक रिपोर्ट **Annexure 3** के रूप में संलग्न की गई है तथा चूजों के साथ होने वाली क्रूरता की वीडियो फुटेज इस लिंक पर देखी जा सकती हैं।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि अवांछित चूजों को मारने के ऐसे अवैध और क्रूर तरीके "द प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960" (PCA अधिनियम) की धारा 11 का उल्लंघन करते हैं, और इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हैं। (PCA अधिनियम की धारा 11 की एक प्रति **Annexure 4** के रूप में संलग्न है)।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी बेसिक पशुपालन सांख्यिकी 2019 के अनुसार, मध्य प्रदेश ने 2018 से 2019 तक 21431.92 लाख अंडे का उत्पादन किया था। उत्पादान की इस अत्यधिक मात्रा को देखते हुए यह विशेष रूप से जरूरी है कि आप अपने राज्य में हैचरी व्यावसायिकों को निर्देश जारी कर अवांछित चूजों को मारने के लिए अवैध और क्रूर प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाएँ।

जुलाई 2017 में, भारतीय विधि आयोग (LCI) ने "ट्रांसपोर्टिंग एंड हाउस-कीपिंग ऑफ़ एग-लेइंग हेंस (लेयर्स) एंड ब्रॉयलर चिकन्स" नाम से अपनी 269 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री में होनेवाली नर चूजों की क्रूर हत्या को स्वीकार किया गया। "प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (एग लेयिंग हेंस) रूल्स, 2017" के ड्राफ्ट के नियम 16 में कहा गया है कि "हैचरी व्यावसायिकों को अवांछित नर चूजों को इच्छामृत्यु देने के लिए "इनर्ट गेंसों" के द्वारा वायुमंडल को नियंत्रित करने वाली विधि का उपयोग करना चाहिए"। इस रिपोर्ट की एक प्रति **Annexure 5** के रूप में संलग्न की है।

2012 में, AWBI ने रोग नियंत्रण उद्देश्यों के लिए पक्षियों को पालने से संबंधित एक सलाह जारी की। जिसमें नाइट्रोजन और "इनर्ट गैस" विधि के उपयोग का समर्थन किया गया है क्योंकि मृत्यु हेतु यह प्रक्रिया कम दर्दनाक है। (इसकी एक प्रति **Annexure 6** के रूप में संलग्न की है।)

29 अप्रैल 2019 को, भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय ने "प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (एग लेयिंग हेंस) रूल्स 2019" इस मसौदे के अधिसूचना को जारी किया। इसके ("ड्राफ्ट एग लेयिंग हेंस रूल्स") नियम 12 में कहा गया है कि, हेचरी को नर चूजों की इच्छामृत्यु के लिए OIE के दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए।(ड्राफ्ट रूल्स की एक प्रति **Annexure 7** के रूप में संलग्न की है।)

OIE द्वारा जारी स्थलीय पशु स्वास्थ्य कोड के अध्याय 7.6 के अनुच्छेद 7.6.14 में मुर्गियों की इच्छा मृत्यु हेतु नाइट्रोजन और "इनर्ट गैसों" के उपयोग को निर्धारित किया गया है, जो AWBI और LCI द्वारा भी अनुशंसित है। भारत OIE का सदस्य है, इसलिए राज्य में अवांछित चूजों को इच्छामृत्यु देने के लिए इस पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। OIE के दिशानिर्देशों से संबंधित निष्कर्ष **Annexure 8** के रूप में संलग्न है।

फ्रांस, स्विटज़रलैंड और जर्मनी (जिन्होंने सेक्स-निर्धारण तकनीक में 5 मिलियन यूरो का निवेश किया है) इन सभी देशों ने जीवित नर चूजों को क्रूरता से मारने की प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए कदम उठाये हैं। (स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली द्वारा चूजों को काटकर मारने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की एक प्रति **Annexure 9** के रूप में संलग्न है।) सेक्स-निर्धारण तकनीक विदेशों में विकसित की गई थी और जल्द ही यह व्यावसायिक रूप से अपने देश में भी उपलब्ध होगी, यह फिलहाल विकास के प्रारंभिक चरण में है। इस तकनीक के द्वारा अवांछित नर चूजों के भ्रूणवाले अंडे को ही नष्ट किया जाएगा ताकि ज़िंदा नर चूजों की दर्दनाक मौत को रोका जा सके।

उपरोक्त जानकारी को मद्देनजर मैं आपसे आग्रह करता हूँ की आप निम्नलिखित निर्देशों को तुरंत जारी करने का कष्ट करें-

1. राज्य में पोल्ट्री हैचरी उद्योग द्वारा अवांछित चूजों को मारने के सभी अवैध और क्रूर तरीकों को प्रतिबंधित करें और इस OIE दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.6.14 के तहत निर्धारित विधि को अपनाएं, जिसकी सिफारिश AWBI और LCI द्वारा भी की गयी है।

2. एक दिन के नर चूजों को मारने की प्रथा पर रोक लगाएँ और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने के बाद तत्काल रूप से ovo सेक्स-निर्धारण तकनीक को अपनाये।

उम्मीद है इस विषय पर जल्द ही आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। इस महत्वपूर्ण मामले पर आपके विचार व बहुमुल्य समय के लिए आपका धन्यवाद। आप मुझे ManilalV@petaindia.org या +91 9910817382 पर संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय,

डॉ. मणिलाल वलियाते,
CEO, PETA इंडिया

PETA India
Follow us on Facebook
Follow us on Hindi Facebook

Follow us on Twitter
Follow us on Instagram
Subscribe to our YouTube
Subscribe to our E-news

Animals are not ours to experiment on, eat, wear, use for entertainment, or abuse in any any other way.

Please consider the environment before printing this email

From: Dr. Manilal Valliyate <ManilalV@petaindia.org>
Sent: 15 April 2020 17:09
To: dirveterinary@mp.gov.in
Cc: cmdwz.indore@gmail.com
Subject: Request for a ban on cruel and illegal methods for killing unwanted chicks by poultry hatcheries in Madhya Pradesh and the implementation of method prescribed by the AWBI and other bodies

Dear Sir/ Madam,

I'm writing from People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India on behalf of our 1.5 million members and supporters, requesting that you immediately issue directions to all poultry hatcheries in Madhya Pradesh to ban all cruel and illegal methods of killing unwanted chicks. In addition, please direct the hatcheries to use an inert gas method for this purpose instead, as recommended by the Animal Welfare Board of India (AWBI), the Law Commission of India (LCI), and Article 7.6.14 of the guidelines issued by the World Organisation for Animal Health (OIE).

Recently, following our appeal, **the Uttar Pradesh and Maharashtra animal husbandry departments issued orders** for a complete prohibition on cruel and illegal practices for killing chicks in hatcheries and for adopting method recommended by the AWBI for killing unwanted chicks. (Copies of these orders are appended as **Annexures 1** and **2**.)

As you may know, millions of male chicks (since they can't lay eggs) and chicks who are deformed, sick, or "low grade" are considered useless by the poultry industries and killed via various illegal and cruel methods, which include drowning, burning, crushing, grinding, or suffocating them or even transporting them to be eaten alive at fish farms. Some chicks who have been dyed with chemicals and distributed or sold in villages to children also typically die soon from the paint, neglect, or other reasons. A report on common methods used to kill chicks by major firms in India is appended as **Annexure 3**. The link to the video footage depicting cruelty on chicks can be accessed at https://www.youtube.com/watch?v=hFJPWknSEtk.

It should be noted that such illegal and cruel methods of killing unwanted chicks violate Section 11 of **The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960** (**PCA Act**), and are punishable under this Act. (A copy of Section 11 of the PCA Act is appended as **Annexure 4**.)

As per the Basic Animal Husbandry Statistics 2019 released by the Department of Animal Husbandry & Dairying under the Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Madhya Pradesh produced 21431.92 lakhs eggs from 2018 to 2019. Hence, it especially imperative that the hatcheries in your state be immediately directed to ban any use of illegal and cruel practices for killing unwanted chicks.

In July 2017, the LCI released its 269th report, titled "Transportation and House-Keeping of Egg-Laying Hens (Layers) and Broiler Chickens", wherein the cruel killing of male baby chicks in the poultry industry was acknowledged. Rule 16 of the draft Prevention of Cruelty to Animals (Egg Laying Hens) Rules, 2017, states, "The hatcheries shall use animal euthanasia to euthanize male chicks using a [combination] of inert gases by the method of controlled atmospheric killing." A copy of the report is appended as **Annexure 5**.

In 2012, the AWBI issued an advisory concerning the culling of birds for disease control purposes. It supported the use of nitrogen and inert gas method, because they cause the least amount of pain and result in less overall suffering. (A copy of the advisory is appended as **Annexure 6**.)

On 29 April 2019, the Government of India's Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries issued a draft notification, the Prevention of Cruelty to Animals (Egg Laying Hens) Rules, 2019 ("Draft Egg Laying Hens Rules"). Rule 12 mandates that hatcheries must use the procedures for the euthanasia of male chicks prescribed in the OIE guidelines. A copy of the Draft Egg Laying Hens Rules is appended as **Annexure 7**.

Article 7.6.14 of Chapter 7.6 of the Terrestrial Animal Health Code issued by the OIE prescribes the use of nitrogen and inert gases for killing poultry, which is also recommended by the AWBI and the LCI. India is a member of the OIE, so this method should be adopted to euthanise unwanted chicks in the state. The relevant extract from the OIE guidelines is appended as **Annexure 8**.

France, Switzerland, and Germany (which has invested 5 million euros in sex-determination technology) have all taken steps towards ending the shredding of live male chicks. (A copy of the decision by the Federal Assembly of Switzerland to ban the shredding of chicks is appended as **Annexure 9**.) Sex-determination technology – which was developed abroad and will be commercially available soon – would allow eggs with male embryos to be destroyed at an early stage of development and spare live chicks a horrific death.

In light of the above, I urge you to issue the following directions immediately:

1. Ban all illegal and cruel methods of killing unwanted chicks by poultry hatcheries in the state and adopt the method prescribed under Article 7.6.14 of the OIE guidelines, which are also recommended by the AWBI and the LCI.
2. Prohibit the practice of killing day-old male chicks and adopt *in ovo* sex-determination technology once it's commercially available.

I hope to hear from you soon. Thank you for your time and consideration of this important matter. I can be reached at ManilalV@petaindia.org or on +91 9910817382.

Yours sincerely,

Dr Manilal Valliyate, CEO

PETA India
Follow us on Facebook
Follow us on Hindi Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram
Subscribe to our YouTube
Subscribe to our E-news

Animals are not ours to experiment on, eat, wear, use for entertainment, or abuse in any other way.
Please consider the environment before printing this email